

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

(जुलाई, 2024 सत्र)

(दिनांक 22 जुलाई, 2024 से 26 जुलाई, 2024 तक)

प्रश्नोत्तरों के लिए विभाग के वर्ग, प्रत्येक विभाग के लिए प्रभारी मंत्री, उत्तर के लिए निश्चित दिनांक तथा उस दिनांक के लिए प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने का अंतिम दिनांक दर्शाने वाला विवरण.

विभाग	प्रभारी मंत्री	सभा में उत्तर के लिए निश्चित दिनांक	प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने का अंतिम दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
वर्ग - 1			
सामान्य प्रशासन	मुख्यमंत्री	सोमवार 22 जुलाई, 2024	मंगलवार 16 जुलाई, 2024
खनिज साधन	"		
ऊर्जा	"		
जनसंपर्क	"		
वाणिज्यिक कर (आबकारी)	"		
परिवहन	"		
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी	"		
विमानन	"		
सार्वजनिक उपक्रम	"		
जन शिकायत निवारण	"		
ग्रामोद्योग	"		
पशुधन विकास	"		
मछली पालन	"		
आयाकट	"		
पुनर्वास	"		
जैव प्रौद्योगिकी	"		
सुशासन एवं अभिसरण	"		
स्कूल शिक्षा	"		
उच्च शिक्षा	"		
संसदीय कार्य	"		
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	"		
पर्यटन	"		
संस्कृति	"		
वन एवं जलवायु परिवर्तन	वन मंत्री		
जल संसाधन	"		
कौशल विकास	"		
सहकारिता	"		
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन	राजस्व मंत्री		
खेलकूद एवं युवा कल्याण	"		
वर्ग - 2			
लोक निर्माण	उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण)	मंगलवार 23 जुलाई, 2024	मंगलवार 16 जुलाई, 2024
लोक स्वास्थ्य यात्रिकी	"		
विधि एवं विधायी कार्य	"		
नगरीय प्रशासन एवं विकास	"		
वाणिज्य एवं उद्योग	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री		
श्रम	"		
वर्ग - 3			
गृह	उप मुख्यमंत्री (गृह)	बुधवार 24 जुलाई, 2024	गुरुवार 18 जुलाई, 2024
जेल	"		
पंचायत एवं ग्रामीण विकास	"		
तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार	"		
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	"		
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	लोक स्वास्थ्य मंत्री		
चिकित्सा शिक्षा	"		
बीस सूत्रीय कार्यान्वयन	"		

विभाग	प्रभारी मंत्री	सभा में उत्तर के लिए निश्चित दिनांक	प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने का अंतिम दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
वर्ग - 4			
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास	आदिम जाति विकास मंत्री	गुरुवार 25 जुलाई, 2024	शुक्रवार 19 जुलाई, 2024
कृषि विकास एवं किसान कल्याण वित्त	"		
वाणिज्यिक कर	वित्त मंत्री		
आवास एवं पर्यावरण	"		
योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी	"		
वर्ग - 5			
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	खाद्य मंत्री	शुक्रवार 26 जुलाई, 2024	शुक्रवार 19 जुलाई, 2024
महिला एवं बाल विकास समाज कल्याण	महिला एवं बाल विकास मंत्री		

- नोट :-
- विवरण के कालम (3) व (4) में उल्लेखित दिनांक कालम (1) में दिये गये वर्ग के संपूर्ण विभागों हेतु लागू होंगे।
 - विभाग से उत्तर प्राप्त होने की निर्धारित तिथि को उत्तर **कार्यालय समय** में ही प्रेषित करना कृपया सुनिश्चित किया जाये, कार्यालय समय के पश्चात् उत्तर प्राप्त नहीं किये जायेंगे तथा प्रश्नोत्तर-सूची में "मंत्री महोदय की ओर से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ" टीप के साथ मुद्रित कर दिया जावेगा।
 - ई-उत्तर संबंधित वेब एप्लीकेशन के माध्यम से प्रश्नों के उत्तर पूर्व में पृथकतः वितरित दिशानिर्देशों के अनुरूप नियत तिथि तक उपलब्ध कराना कृपया सुनिश्चित करें।
 - अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 18 (6) के पालन में जिन प्रश्नों के उत्तर के साथ संलग्न परिशिष्ट दस अथवा दस से अधिक पृष्ठ के हों, विभाग ऐसे उत्तरों की एक इलेक्ट्रॉनिक प्रति (सी.डी.) भी उत्तर के साथ (परिशिष्ट की प्रति सहित) अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना कृपया सुनिश्चित करें।

रायपुर

दिनांक : 25 जून, 2024

हस्ता./-

दिनेश शर्मा

सचिव,

छत्तीसगढ़ विधानसभा

पृ.क्र. 7306 / वि.स. / प्रश्न / 2024

रायपुर, दिनांक : 25 जून, 2024

प्रतिलिपि :-

- माननीय मुख्यमंत्री
- माननीय उप मुख्यमंत्रीगण
- समस्त माननीय मंत्री
- मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
- शासन के समस्त विभागों को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.



दिनेश शर्मा

सचिव,

छत्तीसगढ़ विधानसभा